FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम– 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

प्रार्थी / प्रार्थीगण **बनाम**	विप्रार्थी / विप्रार्थीगण
सांवलाराम पुत्र विरमजी जाति पुरोहित निवासी लादुनगर, जेठन्तरी तहसील समदड़ी जिला बालोतरा	1 ग्राम पंचायत जेठन्तरी जरिये ग्राम विकास अधिकारी 2 छोगाराम पुत्र हरजीजी जाति पुरोहित निवासी लादुनगर, जेठन्तरी तहसील समदड़ी जिला बालोतरा वगैरह (18) 19 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार समदड़ी जिला बालोतरा

किस्म मुकदमा......धारा 111,128 RLR Act. मुकदमा नंबरः–10 / 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.01.2025	प्रार्थी सांवलाराम की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री महेन्द्रसिंह सोढ़ा ने विप्रार्थी ग्राम पंचायत जेठन्तरी जरिये ग्राम विकास अधिकारी वगैरह के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 111,128 RLR Act का पेश किया, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली 18.03.2025 को पेश हो। (सुरेन्द्र सिंह खंगारोत) उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)	
18-03-25	पत्रावली पेश हुई। विप्रार्थीगण बावजूद प्रार्थी वकील उपस्थित। नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। हमने प्रार्थी वकील की बहस सुनी व पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। विप्रार्थीगण के खेत, प्रार्थी की भूमि से लगते हैं, इस वजह से मौके (?) पर कर जबरन प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते हैं। अत: प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की मेखमबंदी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की मेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना [illegible] किया जाकर ग्राम लादुनगर [illegible] की खसरा संख्या 589 रकबा 04.2398 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाइश [illegible] स्थापित कर मेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदड़ी को 2000/- रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार समदड़ी को	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.04.20 13:53:49 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज
	संबोधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.04.20 13:53:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक: वाचक/2025/589 दिनांक : 01.04.2025

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

सांवलाराम पुत्र विरमजी ग्राम पंचायत जेठन्तरी जरिये ग्राम विकास अधिकारी वगैरा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं. 10/2025 दिनांक :– 18.03.2025

–:: आदेश ::–

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम लादूनगर तहसील समदड़ी की खसरा संख्या 589 रकबा 4.2998 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदड़ी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस रूपये 2000/–प्रार्थी मौके पर अदा करे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हे सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक: वाचक /2025/590 दिनांक : 01.04.2025

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार समदडी
2. थानाधिकारी पुलिस थाना समदडी
3. हल्का पटवारी जेठन्तरी को तहसीलदार समदडी द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी सांवलाराम पुत्र विरमजी जाति पुरोहित निवासी लादुनगर तहसील समदडी जिला बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.04.20 13:53:49 IST
Reason: SelfAttested